न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी – रजनी माधीवाल
प्रकरण संख्या – 1 सन् 2008 अपील

उनवान

1– श्रीमती नानी बाई पत्नी स्व. नदा ढोली निवासी कोचरिया तहसील माण्डल ,जिला भीलवाड़ा (राज.)
2– श्रीमती धुली पुत्री नदा ढोली पत्नी मगनीराम ढोली निवासी मलोटा की खेड़ी, तहसील राशमी, जिला चित्तोड़गढ (राज.)

– अपीलाण्टस

बनाम

1– श्री फता पुत्र नंदा ढोली निवासी कोचरिया तहसील माण्डल, जिला भीलवाड़ा(राज.)
2– श्री धन्ना पुत्र नंदा ढोली निवासी कोचरिया तहसील माण्डल, जिला भीलवाड़ा(राज.)
3– श्री मुरली पुत्र नंदा ढोली नि. कोचरिया तहसील माण्डल, जिला भीलवाड़ा(राज.)
4– ग्राम पंचायत मेजा, जरिये सरपंच ग्राम पंचायत मेजा तहसील माण्डल
5– राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार माण्डल, जिला भीलवाड़ा (राज.)

– रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्व नामान्तकरण संख्या 21 दिनांक 29.09.1977 ग्राम पंचायत मेजा तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा राजस्व ग्राम कोचरिया .

उपस्थितिः
अधिवक्ता श्री शरद कुमार पालीवाल – अपीलाण्ट
अधिवक्ता श्री प्रदीप व्यास – रेसोपोडेन्ट संख्या 01 व 02

दिनांक 11.09.2018

निर्णय

अपीलाण्टस द्वारा ग्राम पंचायत मेजा, तहसील माण्डल के नामान्तकरण संख्या 21 दिनांक 29.09.1977 पर पारित आदेश से नाराज होकर यह अपील न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि वादग्रस्त आराजियात धुकल जी पुत्र जुमा ढोली के खातेदारी की थी, उनकी मृत्यु के पश्चात उनके विधिक वारिसान व कब्जाधारियों के जानकारी के बिना रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 के नाम पर ग्राम पंचायत मेजा ने नामान्तकरण खोलने की स्वीकृति प्रदान कर दी जो कि अवैध है क्यों कि सजरा जो कि नामान्तकरण जैर बहस दर्शाया गया है, वह अपूर्ण है। क्यों कि धूकल जी के एक मात्र पुत्र नंदा ढोली थे जिनका निधन हो गया। नन्दा जी के अपीलाण्ट संख्या – 1 पत्नी, अपीलाण्ट संख्या – 2 पुत्री, रेस्पोडेन्ट संख्या – 3 पुत्र, रेस्पोडेन्ट संख्या – 4 पुत्र, रेस्पोडेन्ट संख्या – 5 पुत्र है। इस प्रकार अपीलाण्टस रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 के साथ–साथ हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की प्रथम श्रेणी के वारिसान है। जिससे श्री धुकल पुत्र जुमा ढोली के निधन के

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा

उपरान्त रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 के साथ–साथ अपीलाण्ट का भी नामान्तकरण में नाम दिया जाकर खोला जाना चाहिए था जो नहीं कर विधिक त्रुटि की है।

नामान्तकरण जैर बहस निर्णय किये जाने के पूर्व हितबद्व पक्षकारान् को कोई सूचना पत्र ही जारी नहीं किया गया तथा अपीलाण्ट को सूचना दिये बिना ही नामान्तकरण स्वीकृत कर दिया जिससे अपीलाण्ट अपना पक्ष ग्राम पंचायत मेजा के समक्ष नही रख पाया।

अपीलाण्ट को उक्त नामान्तकरण की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 17.12.2007 को पटवार हलका मेजा से होने पर अपीलाण्ट ने दिनांक 18.12.2007 को उक्त नामान्तकरण की नकल लेने का प्रार्थना पत्र तहसील माण्डल में प्रस्तुत किया जिस पर दिनांक 20.12.2007 को नकल प्राप्त होते ही यह अपील बिना किसी विलम्ब के प्रस्तुत की गई साथ ही चूँकि आदेश जैर बहस मूलत अवैध है। जिससे ऐसे ओदश के विरूद्व कोई मियाद लागु नहीं होती है। फिर भी जानकारी के अभाव में हुई देरी के समय को कंडोन किये जाने हेतु धारा–5 कानून मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से पेश है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टस को वजह जाहिर करने का नोटिस जारी किया गया । रेस्पोडेन्टस संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री प्रदीप व्यास ने अधिकार पत्र पेश किया तथा शेष रेस्पोडेन्टस बाद तामील अनुपस्थित रहें। सर्वप्रथम अपीलाण्टस की होर से प्रस्तुत अपील में परिसीमा अधिनियम की धारा – 5 के आवेदन पर विचार किया जाकर मियाद के बिन्दु को तय किये जाने हेतु उभयपक्षों के अधिवक्ता की बहस समाप्त की गई। अपीलाण्ट ने अपनी बहस में अपील प्रार्थना पत्र में विवादित नामान्तकरण के निर्णय की जानकारी दिनांक 17.12.2007 तथा नामान्तकरण के निर्णय की नकल दिनांक 20.12.2007 को प्राप्त करने पर हुई। इस कारण विलम्ब की समयावधि को क्षम्य करते हुए अपील को मियाद में शुमार किया जावें। जबकि रेस्पोडेन्टस संख्या 1 व 2 ने अपील को मियाद बाहर बताते हुए खारिज करने का निवेदन किया। विवादित नामान्तकरण को स्वीकृत करते समय हितबद्व पक्षकारों को कोई नोटिस देना जाहिर नहीं आया। अतः न्यायहित में अपील प्रस्तु करने में हुए विलम्ब को क्षमा करते हुए अपील अपीलार्थीगण मियाद में शुमार करने के आदेश दिये जाते है।

अपील में अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेन्ट की बहस सुनी गई। दौराने बहस अपीलाण्टस के अधिवक्ता अपील मेमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए खातेदार धुकल पुत्र जुमा ढोली के निधन के पश्चात रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2 व 3 के साथ उनके विधिक वारिसान होकर हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के प्रथम श्रेणी के वारिसान है। इसलिए रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2 व 3 के साथ–साथ अपीलाण्ट का भी नाम नामान्तकरण में दर्ज होना चाहिए। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने अपीलाण्टस संख्या 1 माता होना व अपीलाण्टस संख्या 2 बहन होना स्वीकार किया तथा खातेदार धुकल पुत्र जुमा ढोली के पुत्र नंदा ढोली के अपीलाण्टस व रेस्पोडेन्टस संख्या 1, 2 व 3 को विधिक वारिसान होना स्वीकार किया।

अपील में प्रस्तुत बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपील मेमों के गुणावगुण पर भी विचार किया । ग्राम पंचायत मेजा ने बिना अपीलाण्ट को नोटिस दिये व सुने नामान्तकरण स्वीकृत किया जो नैसर्गिक न्याय के सिद्वान्तों के सर्वथा

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

विपरीत होकर काबिल अपास्तगी है। ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत मेजा द्वारा नामान्तकरण संख्या 21 दिनांक 29.09.1977 पर पारित आदेश अपास्त योग्य ठहरता है।

आदेश

अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत मेजा द्वारा पारित निर्णय नामान्तकरण संख्या 21 दिनांक 29.09.1977 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की प्रति तहसीलदार माण्डल को भेजकर आदेश दिया जाता है कि खातेदार धुकल पुत्र जुमा ढोली की ग्राम कोचरिया में स्थित खातेदारी आराजीयात में रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2 व 3 के साथ–साथ अपीलाण्टस संख्या 1 व 2 के नाम राजस्व रेकार्ड़ में अंकन किया जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 11.09.2018 को सरे ईजलास सुनाया गया।

(रजनी माधीवाल)
उपखण्ड अधिकारी
मांडल ~~भीलवाड़ा~~ भीलवाड़ा